राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan

Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550 (O)

F16 (.)Legal/CCE/JP/Vividh/23-05724-Part File(1)

प्राचार्य
समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः— भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के संबंध में दिनांक 27 जून, 2024 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन बाबत्।

सन्दर्भः— शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग का पत्र दिनांक 19.06.2024 एवं शासन सचिव, ग्रह (विधि), गृह (ग्रुप—10) विभाग, राजस्थान, जयपुर का पत्र दिनांक 18.06.2024।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के संबंध में दिनांक 27 जून, 2024 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन समस्त ग्राम पंचायतों (उप चुनाव वाली ग्राम पंचायतों को छोडकर) में किया जा रहा है। उक्त ग्राम सभा में विशेषज्ञों द्वारा आमजन को नये कानूनों की जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी एवं इस संबंध में आमजन की शंकाओं का समाधान किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके महाविद्यालय के अधिक से अधिक विद्यार्थियों को ग्राम सभा में भाग लेने के लिए प्रेरित करें, जिससे वे नये कानूनों की जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हो सकें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

(प्रो0 विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

F16 (.)Legal/CCE/JP/Vividh/23-05724-Part File(1)

प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रह (विधि), गृह (ग्रुप—10) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. शासन उप सचिव प्रथम, उच्च शिक्षा (ग्रुप—3)विभाग राजस्थान, जयपुर ।
6. वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Vijay Singh Jat
Designation : Joint Director
Date: 2024.06.26 21:28:54 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 3394895

(प्रो0 विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

एफ.15(37)पंराधि/विधि/विशेष ग्राम सभा/2024/ईफाईल–12489 जयपुर, दिनांक–

1. जिला कलक्टर, समस्त (राजस्थान) ।
2. मुख्य/अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी
   जिला परिषद, समस्त (राजस्थान) ।
3. विकास अधिकारी,
   पंचायत समिति, समस्त (राजस्थान) ।

विषय:–भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के संबंध में दिनांक 27 जून, 2024 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन बाबत।

भारत सरकार ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को भारत के राजपत्र में दिनांक 25.12.2023 को अधिसूचित किया है। केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर, उक्त अधिनियमों के प्रभावी होने की दिनांक 01.7.2024 निश्चित की है।

उक्त विधियों को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के सम्बन्ध में संचालन समिति की बैठक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में 17.6.2024 को बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य सचिव महोदय ने यह निर्देश प्रदान किए कि नवीन आपराधिक विधियों के सम्बन्ध में आमजन को जागरूक किया जाए, विशेष तौर से महिलाओं एवं बच्चों को इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाए।

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव माह जून, 2024 हेतु जारी चुनाव कार्यक्रम की प्रति संलग्न भिजवाकर लेख है कि भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के संबंध में **दिनांक 27 जून, 2024 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन** समस्त ग्राम पंचायतों **(उप चुनाव वाली ग्राम पंचायतों को छोड़कर)** में किये जाने बाबत कार्ययोजना तैयार कर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये। उक्त विशेष ग्राम सभा में स्थानीय पुलिस कार्मिकों को भी आमंत्रित किया जाकर, उनके द्वारा आमजन को नये कानूनों की जानकारी एवं इस संबंध में आमजन की शंकाओं का समाधान करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्न : चुनाव कार्यक्रम की छायाप्रति ।

(रवि जैन)
शासन सचिव एवं आयुक्त

RajKaj Ref
8179276

Signature valid
Digitally signed by Ravi Jain
Designation: Secretary To Government
Date: 2024.06.[illegible] [illegible]:28:04 IST
Reason: Approved

प्रतिलिपि– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रा०वि० एवं पं० राज, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा०वि० एवं पं० राज, राजस्थान।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, गृह (विधि), गृह (ग्रुप–10) विभाग, जयपुर।
6. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–10) विभाग

विषयः– भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के संबंध में।

उपरोक्त विषय में निर्देशानुसार अनुरोध है कि भारत सरकार ने भारतीय दण्ड संहिता, 1860, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के स्थान पर क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 को भारत के राजपत्र में दिनांक 25.12.2023 को अधिसूचित किया है। केन्द्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर, उक्त अधिनियमों के प्रभावी होने की दिनांक 01.07.2024 निश्चित की है।

उक्त विधियों को प्रभावी ढंग से लागू किए जाने के सम्बन्ध में राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठक मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में 17.06.2024 को बैठक आयोजित हुई, जिसमें मुख्य सचिव महोदय ने यह निर्देश प्रदान किए कि नवीन आपराधिक विधियों के सम्बन्ध में आमजन का जागरूक किया जाए, विशेष तौर से महिलाओं एवं बच्चों को इस सम्बन्ध में अवगत कराया जाए।

अतः आपसे अनुरोध है राज्य के सभी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों में छात्र छात्राओं को नवीन विधियों के प्रावधानों के सम्बन्ध में जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करें, जिस हेतु विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के विधि व्याख्याताओं आदि की सेवाएँ लेवें एवं अन्य प्रकार से भी नवीन विधियों को प्रचार प्रसार करें।

18/06/24

(रवि शर्मा)
शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रमुख शासन सचिव,
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

अ.शा.टीप. क्रमांकः **प.14(6)विविध/गृह–10/2024**
जयपुर, दिनांकः– **18.06.2024**

....